

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :-2021 / 00028

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

बलवन्त राम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हंसेरा तहः लूणकरणसर जिला
बीकानेर हाल चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी)

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:

दिनांक:— 18.0123

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) के मु0नं0 100/4 के किला नं0 1 ता 21 में कुल तादादी 20.18 बीघा कमाण्ड रकबा में खातेदार बलवन्तराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हंसेरा तहः लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) ने अपने धारित भूमि के किला नं0 1 ता 21 के बीघा 20.18 में प्रतिवादी द्वारा जगह जगह अवैध जिप्सम खनन के गड्डे किये हुवे है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम खनन कार्यकर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 अनुसार चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) मु0नं0 100/4 के किला नं0 1 ता 21 की 20.18 बीघा भूमि में जगह-जगह अवैध जिप्सम खनन के गड्डे किये हुवे है। खातेदार मौके पर नहीं मिला। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 17.02.2021 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढंग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट

की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे हैं। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्तें 1955 लागू हैं। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रूप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरूर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायतें लगातार आती रही हैं। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं० 1 ता 21 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्तें 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि 3 एमजीडब्ल्यूएम (सीएडी) के मु०नं० 100/4 के किला नं० 1 ता 21 में कुल तादादी 20.18 बीघा की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)